

कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
पत्रांक:-ई-2/03/डीएसीसी/एपीएआर/52/2023/वॉल्यूम-1/ 18723 दिनांक: 01-06-2024

कार्यालय आदेश

संभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2023-24 के एपीएआर का स्वमूल्यांकन (self-Appraisal) कर अधिशासी अभियन्ता(रिपोर्टिंग अधिकारी) को प्रस्तुत करते समय उसकी एक छायाप्रति तथा पावती इस कार्यालय को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि यदि किन्हीं कारणों से रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा एपीएआर को अपने कार्य निष्पादन मूल्यांकन के साथ इस कार्यालय को निर्धारित समय सीमा में अग्रसारित नहीं किया जाता है तो उस पर समीक्षा अधिकारी द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जा सके।


Signed by Abhishek Kumar
Date: 28-06-2024 10:41:38

उपमहालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक:-ई-2/03/डीएसीसी/एपीएआर/52/2023/वॉल्यूम-1/ 18725, 18726 दिनांक: 01-06-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।


सी०ए०/ डी0ए0सी0सी0